MR. SPEAKER : But the concerned hon. Minister is not here. We shall send for him.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) अध्यक्ष महोदय, आपको ध्यान होगा कि संसद्-कार्य मन्त्री, डा० राम सुभग सिंह, ने एक विधेयक के सम्बन्ध में उत्तर देते हुए यह घोषणा की थी कि संसद् का एक अधिवेशन दक्षिण में करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक संसदीय समिति की घोषणा इस अधिवेशन की समाप्ति तक कर दी जायेगी। आज यह अधिवेशन समाप्त हो रहा हैं। आप मंत्री महोदय को कहें कि वह अपने बचन का पालन करते हुए इस बारे में घोषणा करें ।

MR. SPEAKER : I do not know. We shall ask him. Let us see. Now, we will take up the half-an-hour discussion.

18.32 hrs.

ZONAL* PLANS IN DELHI

श्री मलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ध्यान दिल्ली के मास्टर प्लान की ओर खींचना चाहता हूं। दिल्ली देश की राजधानी है और संसार की राजधानियों में जिस गति से यह बढ़ रही है, शायद उतनी गति से और कोई राजधानी नहीं बढ़ रही हैं।

इस 571 वर्ग मील के क्षेत्र में 1947 में कुल 5 लाख की आबादी थी, जिसमें दिल्ली नगर और 300 गांव थे। विभाजन के बाद यहां से कुछ आबादी पाकिस्तान चली गई, परन्तु वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए बहुत से लोग यहां बसने शुरू हो गये। 1951 की जनगणना के समय यहां की आबादी 16 लाख से ऊपर हो गई, 1951 की जनगणना में वह बढ़कर 26½ लाख हो गई और इस समय यहां की आबादी लगभग 40 लाख है।

जब यहां की जनसंख्या बढ़ने लगी, तो गवर्नमेंट ने इसके सुनियोजित विकास के लिए एक मास्टर प्लान बनाने का निश्चय किया। उसके लिये एक कमेटी बनाई गई, जिसने कई साल काम किया और लगभग 1962 में वह प्लान तैयार हुई। उस प्लान को बनाते समय प्लान बनाने वालों ने अपने सामने कुछ टारगेट्स रखे, उनके अपने कुछ अंदाजे थे कि दिल्ली की आबादी में कितनी बढ़ोतरी होगी। उनके अनुसार 1960 तक दिल्ली की आबादी लगभग 40 लाख होगी। इसी प्रकार उन्होंने और भी अनुमान लगाये थे। परन्तु जिस गति से दिल्ली की आबादी बढ़ी है और इसका फैलाव हुआ है, उससे वे सारे अनुमान गलत ही गए हैं। वह मास्टर प्लान जिन अनुमानों और आंकड़ों के आधार पर बनाई गई थी, वे सब गलत हो गए हैं। परिणाम यह है कि आज वह मास्टर प्लान कायम है, परन्तु उस पर व्यावहारिक रूप में अमल होना सम्भव नहीं रहा है।

उस मास्टर प्लान में कुछ बातों का सुझाव दिया गया था। उनमें से एक सुझाव यह था कि दिल्ली में दो प्रकार के क्षेत्र होंगे : एक रिहायशी क्षेत्र और दूसरा ग्रीन बेल्ट, सब्ज क्षेत्र, जिसमें कोई मकान वगैरह नहीं होंगे। मगर जिस समय यह प्लान बना, उस समय जिस क्षेत्र को ग्रीन बेल्ट डिक्लेयर किया गया, उसमें पंद्रह-बीस कालोनीज बन चुकी थीं, जिनमें मकान बन चुके थे और लोग रहते थे। ऐसा लगता है कि प्लान बनाने वालों ने अपने एयर-कन्डीशन्ड रूम में बैठकर प्लान बनाई। उन्होंने कभी जाकर यह देखने की कोशिश नहीं की कि जिस क्षेत्र को हम ग्रीन बेल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, वहां रिहायशी मकान बने हुए हैं।

इसी प्रकार उन्होंने यह निर्धारित कर दिया कि अमुक जगह पर इतने स्कूल, कालेज और धोबी घाट आदि होंगे। उन्होंने यह विचार नहीं किया कि वहां उस समय लैंड यूज क्या था।

*Half-an-hour Discussion.

इस प्लान के बनने के साथ ही दिल्ली की लगभग एक लाख एकड़ भूमि को सरकार की ओर से अधिग्रहण कर लिया गया, ताकि सारा विकास इस प्लान के मुताबिक हो। इसके साथ ही सरकार ने एक छोटी-सी कमेटी, डी० डी० ए०, दिल्ली डेविलपमेंट एथारिटी, बना दी, जिसके बारे में कहा गया कि वह उस प्लान को कार्यान्वित करेगी। मगर वास्तव में कुछ हुआ नहीं। परिणाम यह हुआ कि जमीन गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले ली और मकान बनने बन्द हो गये।

इस प्लान में कहा गया था कि दिल्ली में लगभग पचास हजार मकानों का बैकलाग हैं, जिसे पूरा करना होगा और जिस गति से आबादी बढ़ेगी, उसको दृष्टि में रखते हुए हर साल तीस हजार मकान चाहिए। उन मकानों के लिए सरकार को प्रबन्ध करना था। मगर जहां पचास हजार मकानों का बैकलाग था और तीस हजार मकान हर साल चाहिए थे, नये मकान दस हजार प्रतिवर्ष भी बनने शुरू नहीं हुए। इसलिये मकानों की कमी बढ़नी शुरू हो गई। आबादी बढ़ रही थी। लोगों ने जमीनें ले ले कर अपनी कालोनीज बनानी शुरू कर दीं और इस प्रकार दिल्ली में लगभग 103 ऐसी कालोनीज बन गई, जिनको अनएथाराइज्ड कालोनीज कहा जाता है।

इनमें से 67 कालोनीज तो उस क्षेत्र में हैं, जिसे मास्टर प्लान से रेजीडेंशल एरिया बताया गया है, और 37 उस क्षेत्र में हैं, जिसे ग्रीन बेल्ट कहा गया है। ये कालोनीज बनी हुई हैं, मगर न इन को रेगुलराइज किया गया है और न ही इनके बारे में कोई और कदम उठाया गया है। सरकार की ओर से कहा जाता है कि उन को तोड़ दिया जायेगा। तोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लाखों लोग वहां बस रहे हैं और लाखों लोगों ने वहां पर अपना रुपया लगाया हुआ है। मगर सरकार ने अभी तक इस बारे में कोई नीति तय नहीं की है। परिणाम यह है कि वहां के लोगों के सिरों पर तलवार लटक रही है।

उदाहरण के लिए अर्जुन नगर एथोराइज्ड कालोनी है, जो बहुत पहले की बनी हुई है। वह एक छोटी सी कालोनी है, मगर मास्टर प्लान में उसमें पांच प्राइमरी स्कूल बनाए गए हैं। कहा जाता है कि उन प्राइमरी स्कूलों के लिए उस कालोनी के कुछ हिस्से तोडने होंगे। जैसा कि मैंने कहा है, वह एक छोटी सी कालोनी है और इसी लिए वहां एक या दो प्राइमरी स्कूलों से काम चल सकता है। इसी तरह यह भी कहा जाता है कि वहां गलियाँ छोटी हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि झुग्गी-झोंपड़ी स्कीम के अन्तर्गत गवर्नमेंट खुद सुनियोजित ढंग से जो नये स्लम्स क्रीस्ट कर रही है, उन से ये अनएथोराइज्ड कालोनीज बहुत बेहतर हैं। वहां गलियां और पार्क हैं। अगर आवश्यकता हो, तो उन गलियों को और चौड़ा किया जा सकता है। मगर यह जरूरी नहीं है कि हर एक कालोनी में साठ फीट चौड़ी सड़क बनाई जाये। अगर जरूरत हो, तो इन कालोनीज के गिर्द सर्कुलर सड़कें बन सकती हैं। लेकिन इन कालोनीज के बारे में एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। सरकार इन कालोनीज को तोड़ नहीं सकती।

इस लिए इन कालोनीज को जल्दी रेगुलराइज किया जाये। कम्युनिटी सैंटर, स्कूल और डिसपेंसरी वगैरह के लिए जो जगह आवश्यक है, वह भी जल्दी ले ली जाये और उसके लिए काम्पेन्सेशन दे दिया जाये, ताकि वहां के लोग ठीक तरह से बस सकें और अपनी कालोनीज के विकास में लग सकें।

दिल्ली में 300 गांव हैं। दिल्ली का शहरी क्षेत्र फैल रहा है और बहुत से गांव अरबनाइज्ड हो रहे हैं जो गांव अरबनाइज्ड हो गए हैं और शहर के क्षेत्र में आ गये हैं, वहां के लोगों की जमीन छिन गई हैं, और उनका पैतृक काम, खेती-बाड़ी, खत्म हो गया है। अरबनाइज्ड गांवों की संख्या सौ से अधिक हो गई है। वे गांव वाले पहले रफाहहाजत

[श्री बलराज मधोक]

के लिए, शौच इत्यादि के लिए, खेतों में जाया करते थे। अब खेत नहीं है, मगर किसी गांव में टट्टी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आप बड़े-बड़े गांव में देखेंगे कि प्रातःकाल और सायंकाल महिलाओं को बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि उन के गांव में शौच के लिए कोई टट्टी नहीं बनी है। जब सरकार को टट्टी बनाने के लिए कहा जाता है, तो जवाब दिया जाता है कि डी० डी० ए० ने अभी पास नहीं किया है।

कोई एक महीना पहले गांवों के बारे में मेरे एक सवाल के जवाब में इसी सदन में यह कहा गया था :

> "All the villages which fall within the urbanised limits described in the Delhi Master Plan have been declared as urban areas. Accordingly, the Delhi Development Authority is preparing development plans for these villages and estimates of expenditure on the provision of internal services and maintenance thereof are also being prepared. Necessary amenities will be provided for these villages as soon as development plans and estimates of expenditure have been finalised".

इस बीच इन गांवों की हालत दिन-प्रति दिन खराब होती चली जा रही है। उन को पानी नहीं मिलता है। जब वे कारपोरेशन के पास जाते हैं, तो उन्हें डी० डी० ए० के पास जाने के लिए कहा जाता है। डी० डी० ए० कहती है कि अभी तक इन गांवों की डेवेलपमेंट प्लान्ज नहीं बनी हैं, इसलिए हम पानी नहीं दे सकते हैं। आज दिल्ली के गांवों के साथ यह सलूक किया जा रहा है कि उनको बेसिक एमिनिटीज, कम से कम सहूलियतें, भी नहीं दी जा रही हैं। इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। क्या मास्टर प्लान का मतलब दिल्ली की इम्प्रूवमेंट करना था या दिल्ली के लोगों को मारना और तबाह करना था, जो सुविधायें मौजूद थीं, वे भी उन से छीनना था ?

मास्टर प्लान के अन्तर्गत कुछ, जोनल प्लान्ज भी बनाए गए। इनकी हालत और भी गई गुजरी है। मैं आप को एक मिसाल देता हूं। मोतीनगर एक रीहेबिलिटेशन कालोनी है। वहां पर किसी आदमी का सिनेमा है "नटराज सिनेमा"। उस ने डी० डी० ए० की बहुत सी जमीन अपने सिनेमा में डाल रखी है। जोनल प्लान में वहां पर एक सड़क का प्राविजन किया गया है, जिसको बनाने के लिए वह आधी रीहेबिलिटेशन कालोनी गिरानी पड़ेगी। उस सड़क के लिए सरकार उस सिनेमा के आंगन का थोड़ा सा हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि सिनेमा का मालिक कोई अमीर आदमी है, जो रुपया चढ़ा सकता है। इस लिए ओरिजिनल मास्टर प्लान के मुताबिक सिनेमा में से वह सड़क नहीं गुजरेगी, मगर आधे मोतीनगर को तोड़ा जायेगा।

इसी तरह वेस्ट दिल्ली में बहुत सी कालोनीज हैं, लेकिन सारे धोबी घाट एक सुदर्शन पार्क में डाल दिये गये हैं। जहां कोई कालोनी होगी, वहां धोबियों के लिए जगह चाहिए। आबादियां फैली हुई हैं दस मील तक, लेकिन धोबी घाट केवल एक जगह डाल दिये जायेंगे और वहां पर मकान तोड़ दिये जायेंगे।

कई जगह कम्यूनिटी सेंटर दिखाये गये हैं, प्ले ग्राउंड्स दिखाई गई हैं, पार्क दिखाये गये हैं, उन जगहों पर जहां मकान बने हुए हैं या जहां खाली प्लाट पड़े हुए हैं और कहते हैं कि वह बनायेंगे। लेकिन मास्टर प्लान बनाने वालों ने अगर कभी जा कर आन दि स्पाट स्टेडी की होती तो उन्हें लगता कि जो मास्टर प्लान वह बना रहे हैं उस का वास्तविकता के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। इन हालात को देखते हुए कई मन्त्रियों ने भी यहां इस बात को माना है कि इस मास्टर प्लान को बदलना पड़ेगा इस सम्बन्ध में मेरे कुछ डेफिनिट सुझाव हैं, जिन पर मैं चाहूंगा कि अमल किया जाये।

पहला सुझाव तो यह है कि जिन अनुमानों

अथवा स्टेटिस्टिक्स पर मास्टर प्लान बना था वह गलत हो गये हैं । इसलिये इस मास्टर प्लैन को रिवाइज करने की आवश्यकता है । मेरा सुझाव है कि एक कमेटी बनाई जाय जिस में दिल्ली के संसद सदस्यों, दिल्ली डेवेलपमेंट अथारिटी के लोगों, दिल्ली के जो टाउन प्लैनर हैं, वह हों । इन सब को मिला कर 12 या 13 आदमियों की एक कमेटी बनाई जाय ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : दिल्ली के आस पास की जगहों के भी ।

श्री बलराज मधोक : दिल्ली के आस पास जैसे गाजियाबाद, नरेला आदि जो सैटेलाइट टाउन हैं उन के नुमाइन्दे भी लिये जायें और उन की एक कमेटी बनाई जाय । वह कमेटी सारी मास्टर प्लान को रिवाइज करे, घर में बैठ कर नहीं, सारे क्षेत्र में जा कर ।

दूसरे दिल्ली के अन्दर जो जोनल प्लैन बनाई गई है उसको भी जैसे मास्टर प्लान को रिवाइज किया जाय वैसे ही रिवाइज किया जाय । जो जोनल प्लान बनाई जाय उसके लिए उन क्षेत्रों में रहने वाले जो मेट्रोपोलिटन कौंसिल के मेम्बर हैं, जो कारपोरेशन के मेम्बर हैं, उन्हें साथ लिया जाय और दुबारा जोनल प्लान बनाने के लिये जोनल कमेटियां विचार करें और जोनल प्लानों को जरूरत के हिसाब से रिवाइज करें ।

मेरा तीसरा सुझाव यह है कि यहां पर जो अनआथराइज्ड कालोनीज हैं उनको आप तोड़ तो सकते नहीं क्योंकि वहां पर लाखों लोग बैठे हुए हैं । उन से डेवेलपमेंन्ट चार्जेज ले कर उन को रेगुलराइज किया जाय वह लोग हाउस टैक्स दे रहे हैं, कारपोरेशन के बाकी टैक्स दे रहे हैं । उनको पानी दिया जाय, बिजली दी जाय । उनके लिये जो जगह दी जाय उससे उन के डेवेलपमेंट चार्जेज ले लिये जायें ताकि वह कालोनीज रेगुलराइज हो सकें । वह जो कालोनीज उन से तो बेहतर हैं जो झुग्गी-झोंपड़ी स्कीम के अन्तर्गत बनाये जा रहे हैं ।

मेरा चौथा सुझाव यह है कि दिल्ली की हाउसिंग प्राब्लेम को हल करने के लिये एक बड़ा हाउसिंग कारपोरेशन बनाया जाय । मुझे खुशी है कि दिल्ली डेवेलपमेंट अथारिटी के डिप्टी चेअरमैन श्री वोसमल्लिक ने भी आज यह बात कही है । बहुत दिनों से हम जन संघ के लोग कह रहे हैं कि दिल्ली के अन्दर एक बड़ा हाउसिंह कारपोरेशन हो जिसके फंड्स के लिये चाहे लोन लिया जाय चाहे एल० आई० सी० से रुपया लिया जाय । वह दिल्ली के अन्दर हर साल दस या पन्द्रह हजार प्लाट्स पर मकान बनाये और लो इनकम ग्रुप और मिडल इनकम ग्रुप वालों की दे हायर परचेज सिस्टम के आधार पर । जिस ढंग से आज मकान की कास्ट्स चल रही हैं उन में कोई आम आदमी मकान नहीं बनवा सकता है । नतीजा यह है कि लोग झुग्गीझोंपड़ियां बना रहे हैं और स्लम्स बनते चले जा रहे हैं । अगर झुग्गी झोंपड़ी की समस्या को हल करना है तो सस्ते मकान बना कर आप हायर परचेज के आधार पर लोगों को दिलायें ।

आज दिल्ली के अन्दर एक लोकतंत्री शासन है, लेकिन म्यूनिसिपल कारपोरेशन या मेट्रोपोलिटन कौंसिल का दिल्ली का जो डेवेलपमेंट है या जो उसकी मास्टर प्लान है उसके इम्प्लिमेंटेशन में कोई हाथ नहीं है । दिल्ली डेवेलपमेंट अथारिटी है वह "**स्टेट विदिन ए स्टेट**" है । यह बात गलत है । दिल्ली के डेवेलपमेंट और मास्टर प्लान के इम्प्लिमेंटेशन का जो सारा काम है वह दिल्ली प्रशासन का है । इस लिये जो दिल्ली का डिमाक्रेटिक ऐडमिनिस्ट्रेशन है उसके अन्तर्गत इसको आना चाहिये । आज छोटे छोटे काम के लिये यहां पर मल्टिप्लिसिटी आफ अथारिटी है मैं कहना चाहता हूं कि **बेअर शुड बी ए सेंट्रलाइज्ड अथारिटी** जो कि सारे काम को करे ।

यह मेरे चार-पांच .मोटे सुझाव हैं । मैं समझता हूं कि अगर इन पर अमल किया जाये तो काम चल सकता है । मास्टर प्लान कोई

[श्री बलराज मधोक]

सेक्रोसेंट चीज नहीं है, इसको बदला जा सकता है, यह मान लिया जाय ताकि दिल्ली के विकास का काम ठीक ढंग से चल सके।

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के सिस्टेमेटिक डेवेलपमेंट के लिये अगर कोई बाटलनेक है तो वह मास्टर प्लान है क्योंकि वह बिल्कुल इमैजिनरी है और प्रैक्टिकल कंसडिरेशन्स से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो टार्गेट्स इस मास्टर प्लान के रक्खे गये थे वह एक भी अचीव नहीं हुए अभी तक। जो 39 जोनल प्लान्स बननी थीं उनमें से अभी तक सिर्फ 28 जोनल प्लान्स बनी हैं। हालांकि करीब 9 साल हो गये इंटेरिम प्लान को बने हुए, लेकिन कोई सैटेलाइट टाउन डेवेलप नहीं हुआ। सीवर और पानी के बारे में भी जो टार्गेट थे वह पूरे नहीं हुये। इंडस्ट्रीज जो पहले शहर में थीं उसकी आज दुगुनी हो गई हैं। इसी तरह से जो अनआथराइज्ड कंस्ट्रक्शन के डेढ़ लाख केसेज हैं और झुग्गी झोंपड़ी जो करीब एक लाख के हैं उनके बारे में जो टार्गेट्स थे मास्टर प्लान बनाते समय उनको भी पूरा नहीं किया गया बल्कि वह पहले से भी बुरी हालत में हो गये हैं। आज दिल्ली दुनिया का एक सब से बड़ा गांव बनने की तरफ जा रहा है।

मेरे दो तीन सुझाव हैं इस सम्बन्ध में। एक तो यह कि पिछले जो आबादी 45 लाख की एस्टिमेट की गई थी कि 1981 में हो जायेगी, लगता है कि वह लगभग 60 लाख के हो जायेगी। उसके हिसाब से मास्टर प्लैन को भी बदलना चाहिये और रिवाइज करना चाहिये और उसी के हिसाब से सारी अमेनिटीज हास्पिटल्स और स्कूल आदि की जो हैं उनका प्राविजन होना चाहिये।

दूसरी बात यह कि दिल्ली के आस पास के जो सैटेलाइट टाउन हैं जैसे गाजियाबाद है, फरीदाबाद है, उनके लिये उत्तर प्रदेश, हरियाना और पंजाब के चीफ़ मिनिस्टर्स को होम मिनिस्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बना रखी गई है जो कि सैटेलाइट टाउन्स के सिस्टेमेटिक डेवेलपमेंट के बारे में विचार करती है, लेकिन वह प्रैक्टिकली कम्प्लीट फेल्यौर रही है। अभी तक उसने कोई कार्यवाई नहीं की। साल में एक आध बार वह मिलती है और सदस्य लोग बैठ कर चले जाते हैं। नैशनल कैपिटल रीजन के लिये एक रीजनल अथारिटी बननी चाहिये। जो इन सब इलाकों का कोआर्डिनेशन करे और उनका सिस्टेमेटिक डेवेलपमेंट हो। हमें कानून से यह रीजनल अथारिटी बनानी चाहिये।

तीसरा सुझाव यह है कि हमें मास्टर प्लान बदलना चाहिये। यह कोई बाइबल या इस तरह की कोई चीज नहीं है कि जो तय हो गया वह बदला नहीं जा सकता। अभी मास्टर प्लान में क्या है कि जो खेती की जमीनें है अलीपुर ब्लाक में और ओखला की तरफ, जो कि बहुत काफी अनाज पैदा करती थी, उनको रेजिडेंशल और इंडस्ट्रियल एरिया में लाया गया है और जो बंजर जमीनें हैं उनको ग्रीन एरिया में रक्खा गया है मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय जो खेती की जमीन है उसको इंडस्ट्रियल प्लाट्स में न लें और उसके लिये मास्टर प्लान को बदल दें।

आखीर में मेरा यह सुझाव है, जैसा श्री मधोक ने भी कहा कि यहां एक हाउसिंग बोर्ड बनाया जाय, जिसको सरकार फाइनेन्शल पावर्स भी दे। वह एल० आई० सी० से लोन वगैरह ले और एल० आई० सी० को गारन्टी गवर्नमेंट दे। बोर्ड लोगों को पैसा वगैरह दे। वह बोर्ड मकान भी बनाकर लोगों को दे, जैसा कि दूसरे देशों में भी होता है। एक नान-आफिशल बाडी बनाई जानी चाहिए जिसमें पार्लियामेंट मेम्बर्स, दिल्ली ऐडमिनिस्ट्रेशन के नुमाइन्दों और दिल्ली डेवेलपमेंट अथारिटी तथा कारपोरेशन के नुमाइन्दों को लिया जाय। अब चूंकि सात-आठ

साल हो गये हैं इस मास्टर प्लान के बने हुए इसलिए यह लोग देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल एक्स्पीरिएंस के बाद उसमें क्या बदलाव किये जा सकते हैं। यह कमेटी प्लान को रिव्यू करे कि इसमें कौन कौन से हेर फेर करने की जरूरत है और लोगों की तकलीफें कैसे दूर हो सकती हैं।

SHRI SRADHAKAR SUPAKAR (Sambalpur) : Anybody who comes to Delhi is more impressed by its slums—the juggies and jhompries—than by its palatial buildings. Although there is a master plan, we always hide things when questions about water-supply and sewerage which very often take a very serious turn are raised in this House and outside. Although there is a master plan, when we actually go into the city, we do not find that there is any plan. These zones are allowed to develop in their own way, and there is absolutely no indication of any master plan being followed.

I want to know definitely from the Minister, although they have been armed with sufficient legal authority, why they do not channel at least the new growth of the city in a particular line so that we may justly be proud of this being the capital of India. Secondly, I want to know the reason why essential problems like water-supply and sewage are not looked into in their proper perspective so that these questions crop up from time to time.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की मास्टर प्लैन की स्थिति और दिल्ली के पड़ौसी राज्यों की स्थिति इस प्रकार की है जैसे दूसरी मंजिल पर रहने वाला आदमी कूड़ा नीचे फैंकता है। वह इस बात की परवाह नहीं करता कि जो आदमी ग्राउन्ड फ्लोर पर रहता है उसकी क्या परेशानी है। इधर हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में जो दिल्ली के आस-पास के कुछ नगर हैं, उनके विकास में दिल्ली का विकास किस प्रकार बाधक हो रहा है, इसके सम्बन्ध में मैं चाहता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री अपना उत्तर देते समय प्रकाश डालें।

पीछे हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों के सामने केन्द्रीय सरकार ने कुछ अपने सुझाव रखे थे। दोनों राज्य सरकारें उससे सहमत न हो सकीं मैं चाहता हूं कि बताया जाये कि क्या कठिनाइयां उन्होंने केन्द्रीय सरकार के सामने रखी थीं और क्या केन्द्रीय सरकार ने उन कठिनाइयों के निवारण में किसी प्रकार के कोई पग उठाये हैं या नहीं उठाये हैं ? क्या कारण है कि ये कठिनाइयां अभी तक भी ज्यों-त्यों बनी हुई हैं ?

आसपास के जितने भी नगर हैं, चाहे गाजियाबाद हो, फ़रीदाबाद हो, मेरठ हो, गुडगांव हो, कोई भी हो, बहुत सी आबादी वहां की दिल्ली के दफ्तरों में आकर काम करती है और काम करके शाम को वापिस जाती हैं। अगर यातायात के साधन उनको पूरी तरह से उपलब्ध हों तो मैं समझता हूँ कि फिर दिल्ली के ऊपर जो आबादी का जो दबाव है वह स्वाभाविक रूप से कम हो जायेगा। सांयकाल को आप दिल्ली स्टेशन पर जाकर देखिये, गाड़ियों में बहुत ही बुरी तरह से भीड़ होती है और फस्ट क्लास के डिब्बे भी पूरी तरह से भरे हुए जाते हैं। दिल्ली के विकास का कार्यक्रम बनाते समय इधर आसपास के नगरों के विकास के कार्यक्रम की भी अपनी आंखों से उपेक्षा आपको नहीं करनी चाहिये।

वजीराबाद के पास आप एक पुल का निर्माण कर चुके हैं। वहां आपने एक सड़क भी दी है। दूसरे पुल कब तक चालू होंगे इसका कुछ पता ही नहीं है पर अगर इस सड़क को आप सीधा उत्तर प्रदेश से मिला देते और यह जाकर मोहननगर या गाजियाबाद के पास मिलती तो करनाल पानीपत की तरफ का जो कम से कम ट्रेफिक था वह सीधे पास हो सकता था। लेकिन उसको भी आपने लाकर शाहदरे में समाप्त कर दिया। मैं चाहता हूँ कि इस तरफ भी स्वास्थ्य मन्त्रालय का ध्यान जाना चाहिये।

आज से दस वर्ष पहले की दिल्ली में इतने

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

मक्खी मच्छर नहीं होते थे जितने आज दिखाई देते हैं। इसका कारण क्या है इस पर भी स्वास्थ्य मन्त्री थोड़ा प्रकाश डालें। आखिर मच्छरों और मक्खियों की संख्या इतनी क्यों बढ़ती जा रही है। आप शिथिल हो गए हैं या उनकी आबादी अधिक बढ़ रही है ?

श्री रबि राय (पुरी) : मास्टर प्लान के पीछे कौन सा सिद्धांत होना चाहिए - इसको बनाने में पुरानी साम्राज्यवादी परम्परा का ही निर्वाह किया गया प्रतीत होता है। आप जानते ही हैं कि हिन्दुस्तान के भिन्न-भिन्न शहरों में एक तरफ तो कंटोनमैंट्स हैं, सिविल लाइंज है जहां नौकरशाह, मन्त्री और बड़े-बड़े करोड़पति और लखपति रहते हैं और दूसरी तरफ शहरी इलाका होता है जहां साधारण लोग रहते हैं, जहां आपको झुग्गियां और झोंपड़ियां दिखाई देती हैं। ब्रिटिश शासन काल से यह चीज चली थी और आज भी चलती आ रही है। मास्टर प्लान तो बनाया गया लेकिन इस मनोवृति में कोई अन्तर नहीं पड़ा। यह जो चीज है इसको घटाने की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। ऐसी अवस्था में मास्टर प्लान का कोई मतलब नहीं रह जाता है।

मास्टर प्लान में परिवर्तन के लिये मधोक साहब ने कुछ सुझाव दिये हैं। मैं चाहता हूं कि उन सुझावों की तरफ ध्यान दिया जाए। किसी भी शहर का विकास करते समय आपको दो बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए। पीने का पानी उपलब्ध करना चाहिए और पाखानों का इन्तजाम करना चाहिये। यह आपने नहीं किया है। एक तरफ तो करोड़पति, लखपति के मकान हैं, आलीशान इमारतें हैं जिनमें एयर कंडिशनिंग का प्रबन्ध किया गया है और दूसरी तरफ लोगों के पास रहने के लिये स्थान तक नहीं है। एयर कंडिशन करना और पीने का पानी उपलब्ध करना, साथ-साथ नहीं चल सकते हैं। आपको आधुनिक दुनिया की तरफ भी दृष्टि दौड़ानी चाहिये। आप रूस राजधानी मास्को को देखें। वहां पर एक फ्लैट की जब बिक्री होती है तो उसके दाम अधिक होते हैं लेकिन रहने के लिये मकानों का जो किराया होता है वह बहुत कम होता है। यहां दिल्ली में आपको मकानों के किराये घटाने की तरफ भी ध्यान देना होगा। साथ ही एक बुनियादी चीज की तरफ आपको ध्यान देना होगा। एक-एक आदमी के दस-दस और बारह-बारह मकान होते हैं। चाहे साधारण आदमी हो या विशेष परिवार हो, किसी के पास भी उसका एक से अधिक मकान नहीं होना चाहिए। यह जो इम्पीरियल ट्रेडीशन चली आ रही हैं कि एक तरफ तो सिविल लाइंज और दूसरी तरफ साधारण लोगों की झुग्गियां और झोंपड़ियां, इस ट्रेडीशन का अन्त होना चाहिये। अगर इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए या मास्टर प्लान में परिवर्तन किया जाएगा तो आप दिल्ली का ही नहीं सारे देश का भी भला करेंगे।

SHRI R. D. BHANDARE (Bombay Central) : Under the master plan and under the slum clearance scheme, a number of persons have been thrown out of the periphery of the city and a number of jhuggi-jhompris are again being raised there, making worse slums in those areas. So I want to know from the hon. Deputy Minister whether the Master Plan is sought to be revised and whether at the time of revising the Master Plan the question of the jhuggis and jhopris will be taken into consideration so that they could be provided with facilities such as water, light, sanitary conditions etc. If the Master Plan is not be revised, may I know what facilities are sought to be given and who is responsible for giving them to those who are living in jhuggis and jhopris?

THE DEPUTY-MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY) : Mr. Speaker, Sir, I am grateful to the hon. Members for pointing out a number of criticisms which they thought must be taken care of by the DDA. For the information of the House I

would like to state that the Master Plan contemplates to bring in an area of 800 square miles. They also contemplate that several satellite ring towns be built up such as Ghaziabad in U.P., Faridabad, Ballabhgarh, Bahadurgarh, Gurgaon in Haryana and Narela in Delhi. Unfortunately, the Master Plan proposal to build up these ring towns was not taken up in right earnest by the States concerned. I do not want to apportion the blame on the States. The States came forward and said: "please give us financial assistance, then we shall be able to build these ring towns". But we were not able to give them financial assistance nor could we ourselves have financial support sufficient to bring up these ring towns. That is one thing I would like hon. Members to bear in mind, that the amount of money that was needed was not made available. Therefore, a number of difficulties have arisen and the DDA is attending to it.

As regards the Master Plan it was published in 1960. Then an *ad hoc* committee was appointed and this *ad hoc* committee has gone into all the plans and complaints. More than 600 people met this committee and they were given personal hearing. The committee also visited places wherever they were needed.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : We want answer to our questions. As far as satellite towns are concerned there were difficulties. But what is the solution now? What you are going to do?

SHRI B. S. MURTHY : I am coming to that. Shri Madhok raised certain points.

SHRI BAL RAJ MADHOK : The most important suggestion that I made is that this Master Plan needs to be revised in view of the changed condition and in view of the falsification of the estimates on the basis of which the Master Plan was drawn. I want to know whether you are prepared to concede this demand for it to be revised and that it is not sacrosanct.

SHRI B. S. MURTHY : If you want a one word answer I say 'yes' because no Plan is sacrosanct. As condition change the plan also must get adjusted. I have already told the House last time that any changes to be made will be welcome and the Master Plan will be so adjusted.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Will you set up a committee of Members of Parliament?

19.00 hrs.

SHRI B. S. MURTHY : A number of committees are already there. Every zonal plan is first prepared by the Town Planning Organisation. Then, it is submitted to the DDA and the DDA as well as the Standing Committee will examine it. Then, they publish it in the gazette and after publishing it, objections and suggestions are invited. Then a Screening Committee has also to go into this. Who are the members of the Screening Committee? That Committee consists of Shri Vijay Kumar Malhotra, Chief Executive Councillor. Metropolitan Council, Shri O.P. Mittal, Engineer Member, DDA, Shri K. N. Dahni, Chairman, Standing Committee of the Delhi Municipal Corporation, Shri Shiv Charan Gupta, Councillor, Metropoliton Council, Shri S. K. Joglekar, Chief Architect, CPWD, and Commissioner, Municipal Corporation.

SHRI BAL RAJ MADHOK : There is no Member of Parliament in this Committee. Secondly, this Committee deals with the whole Master Plan. We suggest that for every zonal plan, have the local representatives who know the problem, who know the area so that the zonal plans could be revised and brought up to date.

SHRI B. S. MURTHY : This plan is again sent to the Corporation, the Contonment Board and also the New Delhi Municipal Committee There all the persons concerned will discuss it and will suggest improvements.

Therefore, it is not as if some people living in airconditioned rooms, as our friends have stated, have prepared this and then it is being published and executed. No. Every aspect of it is being placed before the public and whatever suggestions and objections are there are being looked into. Again, the whole plan was before the

[Shri B. S. Murthy]

Members of Parliament and they have all seen it. Now to say that the plan was not drafted and, therefore, it should be scrapped is something which I cannot understand. I do not think it is possible. As I have already stated, every suggestion will be welcome and all suggestions will be incorporated as long as they are consistent with the development of the plan.

I would invite Shri Bal Raj Madhok, Shri Gupta and Shri Ray to have discussions with us and tell us where exactly the plan has gone wrong and what adjustments should be made. I assure this House and also our friends that they are welcome to do that. But to say that the plan has been drafted by some people who are not in the know of things is something wrong.

He has also mentioned about Motibagh and Nataraj cinema. I assure him that I will look into the matter and everything will be done to see that such unauthorised constructions are not allowed to come and then the plan is changed.

19.02 hrs.

STATEMENT BY MEMBER UNDER DIRECTION 115 AND MINISTERS' REPLY THERETO

Prof. Thacker and Directorship of the Bank of India

SHRI MADHU LIMAYE (Monghyr) : Sir, during the course of the debate on the privilege motion against the Minister for Industrial Development and Company Affairs, Mr. Fakhruddin Ali Ahmed did not meet the main Opposition charge that at his first meeting with Prof. Thacker on 20th March, 1968, he had given his consent to the suggestion that Prof. Thacker be allowed to take up the Directorship of the Bank of India while continuing as Chairman of the Industrial Licensing Inquiry Committee. He took shelter behind the technical objection raised by the Law Minister that Shri Rabi Ray's motion mentioned only the replies by the Minister on 2nd April, 1968. As you know, Sir, in reading the text of the motion which I had passed on to him, Shri Rabi Ray inadvertently failed to mention the words "and on 24th April 1968". The Minister took the position that he was not required to answer the charge that he had made incorrect statements on 24th. April, 1968. Since he has chosen to ignore the main criticism levelled against him, I draw the attention of the House to the following statements made by the Minister in the course of his reply to the Calling Attention Notice on the 24th April, 1968 :—

> "I would like to make it clear that Prof. Thacker seems to have had some misunderstandings of my views as expressed in my earlier discussion with him on 20th March, 1968. I am at a loss to understand how this happened ? But even if there was any misconception I am sure it could not have lasted for long. So far as I am concerned, *from the very beginning* I had made it clear to Prof. Thacker that the Chairmanship of the Committee and Directorship of the Bank are not consistent with each other having regard to the propriety involved in the matter".

Still more categorical statement was made by Mr. Fakhruddin Ali Ahmed in reply to a supplementary in these terms :

> "Professor Thacker had three meetings with me—one on the 20th March, another on the 27th March and the last meeting that he had with me was on the 29th March just before he left for America. If Professor Thacker had my approval to accept the directorship, what was the necessity for him to come and see me so often ; (*Shri Hem Barua* : That is a lame excuse). What was the necessity for him to go and tell the directors of the Bank that he wanted three or four weeks' time to decide ; (*Interruption*) what was the necessity for him to ask the Secretary to send a letter, soon after he had seen me, that he declined the offer made by the Bank?"

Now from the confirmation letter sent by Prof. Thacker to the Minister on 21st March 1968, from the letter of Mr. Rathee, Secretary of the Inquiry Committee to Mr. Wanchoo, the Secretary to the Industrial Development Department and